रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042021-226801 CG-DL-E-30042021-226801

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1597]

No. 1597]

2434 GI/2021

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2021/वैशाख 10, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2021/VAISAKHA 10, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

का.आ. 1721 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बाक्साइट का उत्खनन में लगे उद्योगों की क्रमश: ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 30 और 31 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतत: भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2866(अ), तारीख 26 अगस्त, 2020 द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2020 से छह मास की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

(1)

[फा. सं. एस.11017/2/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2021

S.O. 1721(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in manufacturing of Alumina and Aluminium and mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), be declared to be a public utility services for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 26th August, 2020 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2866 (E), dated the 26th August, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of the notification.

[F. No. S-11017/2/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy,